संख्या-4/3465/58-2013-131/2013

प्रेषक,

कैलाश प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन1

सेवा में

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ1

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक:18 दिसम्बर, 2013**

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में उद्यान शाखा के अधीन संचालित केन्द्रीय आयोजनागत योजना "राज्य औद्यानिक मिशन" के अन्तर्गत "राज्यांश" की प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-158/बजट-आयोजनागत-2013-14 दिनांक 23-10-2013 एवं पत्र संख्या-198/बजट-आयोजनागत-2013-14 दिनांक 30-11-2013 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-1052/58-2013-131/2013 दिनांक 15-4-2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना ''राज्य औद्यानिक मिशन'' योजनान्तर्गत ''राज्यांश'' के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0-12,38,35 हजार के सापेक्ष वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक-28-3-2013 में निहित

http://shasanadesh.up.nic.in

निर्देशों के अधीन रू0-2,65,08 हजार (रूपये दो करोड़ पैसठ लाख आठ हजार मात्र) की धनराशि उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक-15-4-2013 द्वारा अवमुक्त की गयी थी। उक्त अवमुक्त की गयी धनराशि के अतिरिक्त रू0-4,34,59 हजार (रू0 चार करोड़ चौतीस लाख उन्सठ हजार) मात्र की और धनराशि अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की गयी धनराशि**	**अब अवमुक्त की जा रही धनराशि**
अनुदान सं0-10 2401-फसल कृषि कर्म- आयोजनागत-119-बागवानी तथा बनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-राज्य औद्यानिक मिशन योजना (के085/रा0 15-रा0) 42-अन्य व्यय	12,38,35	2,65,08	4,34,59
योग-	**12,38,35**	**2,65,08**	**4,34,59**

(धनराशि रूपये चार करोड़ चौतीस लाख उन्सठ हजार मात्र)

1- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि

http://shasanadesh.up.nic.in

भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष ही अवश्यकतानुसार राज्यांश की धनराशि नियमानुसार आहरित की जायेगी।

2- स्वीकृति की जा रही धनराशि एकमुश्त आहरित न करके आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी।

3- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार राज्यांश की धनराशि का व्यय, राज्य औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक-28-3-2013 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय, किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

7- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययता के संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण एवं मुख्य वित्त नियंत्रक इस बात को सुनश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिकता इकाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

9- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित मुख्य वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

11- यदि भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है तो उसके लिए निदेशक, मिशन/उद्यान तथा संबंधित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, उद्यान तथा मुख्य वित्त नियंत्रक, उद्यान विभाग उत्तरदायी होंगे।

12- प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि की उपयोगिता रिपोर्ट पूर्ण विवरण सहित प्रत्येक माह के 10 तारीख तक शासन को अवश्य ही उपलब्ध करायी जाय।

13- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0 ई-1-688/दस-2013, दिनांक 17-12-2013 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(कैलाश प्रकाश)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-4/3465(1)/58-2013,तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(5) वित्त (व्यय- नियंत्रक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) मुख्य वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कैलाश प्रकाश)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in